

न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0, जेवर गौतमबुद्धनगर
उपस्थित: निमिषा गुप्ता (उ० प्र० न्यायिक सेवा)
J.O.CODE-UP3346
CNR-UPGB1200299672022

सरकार बनाम राहुल

मु0अ0सं0-291 / 2022
वाद संख्या-1832 / 2022
धारा-411, 414 व 482 भा0द0सं0
थाना-जेवर, जिला-गौतमबुद्धनगर

दिनांक 14-10-2022

आज अभियुक्त **राहुल पुत्र सुरेश** की ओर से द्वारा अधिवक्ता मु0अ0सं0-291 / 2022, अन्तर्गत धारा-411, 414 व 482 भा0द0सं0 थाना-जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना प्रपत्रों का सम्यक् अवलोकन किया।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त के द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त को उपरोक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त निर्दोष है। अभियुक्त को रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं है।

सुना तथा प्रपत्रों का सम्यक् परिशीलन किया गया। परिशीलन से विदित होता है कि अभियुक्त उक्त मामले में दिनांक 05.08.2022 से जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त अपराध अन्तर्गत धारा-411, 414 व 482 भा0द0सं0 से आरोपित है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय है।

उपरोक्त की गयी परिचर्चा व उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Arnesh Kumar vs. State of Bihar (2014) 8 SCC 273.** के अधीन यह न्यायालय वाद के गुण-दोष पर विचार बिना प्रकट करें अभियुक्त की जमानत का आधार पर्याप्त मानता है व जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **राहुल पुत्र सुरेश** को 25,000/- रुपये (25 हजार रुपये) के दो प्रतिभू व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र न्यायालय में प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है तथा अभियुक्त इस बात की अण्डर टेकिंग देंगे कि:-

1. अभियुक्त अभियोजन साक्ष्यों अथवा साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ अथवा हानि कारित नहीं करेगा।
2. अभियुक्त उपरोक्त प्रकरण की प्रकृति का पुनः अपराध तथा अन्य कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
3. अभियुक्त विचारण के समय न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
4. अभियुक्त एवं जमानतदार अपने आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति दाखिल करेंगे।

सिविल जज (जू0डि0)/जे0एम0
जेवर, गौतमबुद्धनगर